fcgkj lwpuk dk vf/kdkj ¼la'kks/ku½ fu;ekoyh] 2009

,d lekykspuk vkSj ifjorZu gsrq vuq'kalk

i`"B Hkwfe

सूचना का अधिकार कानून को लागू करने वाले अन्य 26 राज्य के मुकाबले बिहार की प्रगति काफी धीमी रही, जबकि इस कानून के बन जाने के 120 दिनों के अन्दर सभी सरकारों के लिए इस प्रणाली को लागू करना ज़रूरी था। लेकिन बिहार सरकार ने आठ महीने विलम्ब से जून 2006 में सूचना का अधिकार के नियमों को अधिसूचित किया। इनमें से कुछ नियम नागरिकों के हित के विरुद्ध थे। उदाहरण के लिए, नियम के अनुसार नागरिकों को दोनों स्तर के अपील आवेदन में शुल्क की ज़रूरत थी। जबकि सूचना का अधिकार के कानून में अपील और शिकायत के लिए किसी तरह के शुल्क का प्रावधान नहीं है। इस शुल्क से संबंधित नियम स्पष्टतया सूचना का अधिकार कानून के प्रावधान और भावना के विरुद्ध था।

पहले दो वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने नागरिकों को लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने हेतु बेहतर सुविधा के लिए महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम उठाए। प्रथम अपील (विभागीय स्तर पर) शुल्क की राशि 50 रुपये से धटा कर 10 रुपये कर दी गई। जबकि बिहार राज्य सूचना आयोग में अपील या शिकायत के लिए किसी तरह के शुल्क की ज़रूरत नहीं रही। नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार आवेदन टेलीफोन के माध्यम से देने हेतु ''जानकारी कॉल सेन्टर'' की स्थापना कर बिहार सरकार ने सही मायने में पूरे देश के लिए नई मिसाल कायम की । इसके कारण बिहार में अब नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन देने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं रही। फलस्वरूप ऐसे आवेदनों को लेने से इनकार करने की प्रथा में भी परिवर्तन हुआ है।

परंतु वर्तमान समय में सूचना का अधिकार कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के सरकार के संकल्प में कमी आई है। बिहार के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्ति के बाद कई महीनों तक राज्य सूचना आयोग शीर्ष विहीन रहा। यह पद अक्टूबर 2009 में श्री अशोक कुमार चौधरी के नियुक्ति से भरा गया।

19 uoEcj] 2009 dks fcgkj ljdkj us lwpuk dk vf/kdkj dkuwu dh fu;ekoyh esa la'kks/ku gsrq vf/klwpuk tkjh dhA buesa ls dqN la'kks/ku xjhcksa js[kk ls uhps ds yksxksa dks udkjkRed :i ls çHkkfor djsxsaA mnkgj.k ds fy,] oSls vkosndksa] tks vR;f/kd xjhc gSa] vkSj ftUgsa lwpuk fu%'kqYd nh tkuh pkfg,] ij vfoosdi.kZ çfrca/k yknk x;k gSA bl la'kks/ku }kjk lwpuk ds vkosnuksa ij fo"k;&lca/kh çfrca/k ,oa 'kCnksa ds bLrseky ij ikcanh Fkksih xbZ gSA vkbZnk] vkosnd ek= ,d fo"k; oLrq ij lwpuk ekax ldsxsa vkSj mUgsa viuk vkosnuksa dks vf/kdre 150 'kCnksa rd lhfer djuk iMsxkA lwpuk ds fy, vkosnu 'kqYd o vfrfjDr 'kqYd ds vykok vc vkosndksa dks Mkd fVdV;qDr vkSj Lo;a dk irk fy[kk gqvk fyQkQk Hkh nsuk gksxkA vU; ykssd çkf/kdj.kksa dks vkosnu LFkkukarfjr djus ij Hkh çfrca/k yxk;k x;k

gA fcgkj dh turk l fcuk io fopkj d fcgkj ljdkj u bu lHkh xjhc fojk/kh vkj lpuk dk vf/kdkj fojk/kh çfrc/kk dk vf/klfpr fd;k gA

l’kk/ku ij turk l fopkj foe’k ugh fd;k%

सूचना मांगने व प्राप्त करने के मौलिक अधिकर पर नए प्रतिबंध लगाते समय, बिहार सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत एक महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्व को नहीं निभाया। कानून की धारा 4(1)(ग) के मुताबिक :

> *^^4¼1½ iR;d ykd ikf/kdkjh ¼*
>
> *x x x*
>
> *¼x½ egRoi.k uhfr;k dh fojpuk djr le; ;k ,l fofu’p;k dh ?kk"k.kk djr le;] tk turk dk iHkkfor djr gk] lHkh lqlxr rF;k dk idkf’kr djxk**

वर्ष 2005 से अनेक नागरिक बिहार में सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से कुछ गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं। यह संशोधन स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो न केवल बिहार में बल्कि विश्व के कोने कोने में बसनेवाले सभी भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा। वस्तुतः हर भारतीय नागरिक, जो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, सूचना का अधिकार कानून का उपयोग कर देश के किसी भी भाग के किसी भी लोक प्राधिकारण से सूचना ले सकता है। परंतु इन संशोधनों के बारे में बिहार के निवासियों तक से कोई सलाह–मश्विरा नहीं किया गया है। सूचना के अधिकार से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन करते समय, और गज़ट में प्रकाशित करने से पहले, सभी संदर्भित तथ्यों तथा आंकड़ों का खुलासा करना बिहार सरकार का वैधानिक दायित्व बनता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाते समय संदर्भित तथ्य सामग्री और सभी विचार जो हेतु निर्देशित करता है, को लोगों के समक्ष रखना अत्यंत ज़रूरी है। लेकिन सूचना के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता की न्यायोचिता को साबित करने के लिए बिहार सरकार ने जनता के सामने किसी तरह की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

आगे सूचना का अधिकार कानून की धारा 4(1)(घ) के मुताबिक :

> *^^4¼1½ iR;d ykd ikf/kdkjh ¼*
>
> *x x x*
>
> *¼?k½ çHkkfor O;fDr;k dk viu ç’kklfud ;k U;kf;ddYi fofu’p;k d fy, dkj.k miYc/k djk,xk(**

सूचना का अधिकार नियमों में संशोधन निचित रूप से बिहार सरकार का प्रशासनिक निर्णय है। यह बिहार और विश्व के किसी भी कोने में रहनेवाले हर एक सूचना–प्रार्थी भारतीय नागरिक को संभवतः प्रभावित करेगा। सूचना का अधिकार कानून में इन बदलाव लाने के कारणों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट करना राज्य सरकार का विधिक दायित्व है। परंतु, संशोधनों को गज़ट में अधिसूचित करने से पहले या बाद में बिहार सरकार ने उन से संबंधित किन्ही कारणों को प्रकट नहीं किया। सूचना का अधिकार के नियमों में

संशोधन, प्रमुख साझेदार, यानि बिहार की जनता के साथ, बिना समुचित परामर्श के, एकपक्षीय तरीके से किया गया है।

fcgkj ljdkj }kjk lpuk dk vf/kdkj fu;ekoyh e fd, x, l'kk/ku d Lokxr ;kX; vkj udkjkRed igyvk dk fo'y"k.k fuEufyf[kr gA

l'kk/ku d ldkjkRed igy %&

fu;ek e tkudkjh dky lUVj dk mYy[k fd;k tkuk % मूल नियम की घोषणा बिहार में जानकारी कॉल सेन्टर के निर्माण से पहले की गई थी। अतः सूचना का अधिकार आवेदनों को जमा करने के वैधानिक तरीके के रूप में इस यांत्रिक प्रक्रिया का नियमों में समावेश स्वागत योग्य है।

l'kk/ku d udkjkRed igy vkj cnyko gr vu'kl k %&

1- xjhch j[kk l uhp %ch- ih- ,y-½ J.kh d vkondk d fy, 10 i"Bk l T;knk lpuk gr 'kYd çHkkfjr fd;k tkuk % शुल्क से संबंधित नियम के संदर्भ में संशोधन सर्वाधिक प्रतिगामी है। नियम 3 में एक नया परंतुक जोड़ दिया गया है। इसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल्.) के परिवारों के आवेदकों से 10 पृष्ठ से ज़्यादा की सूचना की छायाप्रतियों के लिए नियमित दर पर शुल्क अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। निस्संदेह यह सूचना का अधिकार कानून के शब्द और भावना के बिलकुल विपरीत है। सूचना का अधिकार कानून की धारा 7(5) के प्रावधान के अनुसार बी.पी.एल्. व्यक्तियों को किसी भी स्तर पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। मूल अधिनियम में आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क दोनों समाज के अत्यधिक गरीब तबके के लिए पूर्ण रूप से मुक्त कर दिए गए थे। इस प्रावधान के तहत मुद्रित व इलैक्ट्रानिक विधान में उपलब्ध सूचना का मूल्य भी समाहित था। संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत बी.पी.एल्. आवेदकों के निःशुल्क सूचना प्राप्त करने के अधिकार पर पाबंदी लगाने के लिए राज्य सरकार अपने नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। अधिनियम की धारा 27 के अधीन राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने का मकसद, कानून के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए है, न कि उसके उद्देश्यों को हतोत्साहित करने के लिए।

मूल अधिनियम में बी.पी.एल्. श्रेणी के आवेदकों के लिए शुल्क मुक्ति का प्रावधान सम्मिलित करने के पीछे संसद का मक्सद यह था कि अत्यधिक गरीब व्यक्तियों पर सूचना के अधिकार का प्रयोग करते समय कोई वित्तीय बोझ न पड़े। अक्सर उनकी गरीबी की हालत उनके हक़दारियों के बारे में जानकारी के अभाव से जुड़ी रहती है और यह अत्यावश्यक जानकारी सरकारी कार्यालयों की फाईलों में बंद रहती है। अत्यधिक गरीब परिवारों के पास यही विकल्प होता है– या तो पैसा भूक मिठाने के लिए खर्च करें या फिर सरकारी कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए। इसीलिए संसद ने उन्हें मुफ़्त में सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क मुक्ति की व्यवस्था बनाई है। दस पृष्ठ तक ही मुफ़्त सूचना देने के इस नये नियम से भले ही ऐसा लगे कि लोक प्राधिकरण बी.पी.एल्. आवेदकों पर अपने संसाधनों को लुटाने

से बच जाएंगे, राज्य सरकार का यह निर्णय विवेकपूर्ण नहीं है। *मेनका गाँधी बनाम भारत संघ* **(AIR 1978 SC 597)** एवं ऐसे कई अन्य निर्णयों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार या उसके किसी उपकरण को मनमानी ढ़ंग से कोई काम नहीं करना चाहिए।

अन्य राज्यों ने, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बी.पी.एल्. व्यक्तियों के आवेदनों से निपटने के लिए ज़्यादा तर्क संगत रास्ते निकाले हैं। एक तरफ बी.पी.एल्. व्यक्तियों के निःशुल्क सूचना प्राप्त करने के हक को ध्यान में रखते हुए, दूसरी ओर लोक प्राधिकरणों के संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए रास्ता सुगम करते हुए– जो कि इस अधिनियम के द्वारा संरक्षित महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित है– {धारा 7(9) इसका आधार है} इन राज्यों में शुल्क के नियमों को संशोधित किया गया है। छत्तीसगढ़ में यदि सूचना बी.पी.एल्. आवेदक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वह सूचना, चाहे जितनी लम्बी क्यों न हो, आवेदक को निःशुल्क, उसी प्रारूप में उपलब्ध करायी जाएगी, जिस प्रारूप में आवेदक ने माँगा हो। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में 50 पृष्ठों तक अथवा 100 रुपये के अधिकतम मूल्य तक की सूचना मुफ्त दी जा सकती है, यदि वह सूचना आवेदक से प्रत्यक्षतः संबंधित हो। यदि सूचना बृहद है तो, बी.पी.एल्. आवेदकों को अभिलेख निरीक्षण करने का अवसर निःशुल्क मिलेगा। किसी भी हालात में बी.पी.एल्. आवेदकों से इन राज्यों में सूचना प्राप्त करने के लिए शुल्क नहीं मांगा जाएगा। यह व्यवस्था सूचना का अधिकार कानून के भावना के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जबकि बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन बी.पी.एल्. आवेदकों के हितों के प्रतिकूल हैं।

fcgkj ljdkj }kjk vf/klwfpr bl xjhc&fojks/kh fu;e dk fuf'pr gh fujLr fd;k tkuk pkfg,A

<u>vuq'kalk %</u> *lwpuk dk vf/kdkj ¼la'kks/ku½ fu;ekoyh] 2009* esa fu;e 3¼2½ fuf'pr gh fujLr gksuk pkfg,A blds cnys esa *lwpuk dk vf/kdkj fu;ekoyh] 2006* ds fu;e 3 ds uhps ch-ih-,y- vkosndksa dks lwpuk çkIr djus ds fy, 50 i"Bksa rd dh lwpuk eqQr nsus dh Lohdfr gsrq ,d u;k çko/kku fufo'V fd;k tkuk pkfg,A ;fn vkosnu cgn çek.k dh lwpuk ds fy, gS] rks vkosnd dks fuf'pr :i ls lHkh vfHkys[kksa dk fu%'kqYd voyksdu gsrq Lohdfr nsuk pkfg, rkfd og çkFkfedrk ds vk/kkj ij] çfrfyfi ysus ds fy, vfHkys[kksa dk p;u dj ldsA

2- <u>vkosnd }kjk Mkd fVdV;qDr vkj Lo;a dk irk fy[kk gqvk fyQkQk miyC/k djkus ds lEcU/k esa%</u> नये नियमों के मुताबिक हर आवेदक के लिए अपना पता लिखा हुआ, ड़ाक टिकटयुक्त लिफाफा देना अनिवार्य हो गया है। यह नया प्रावधान नियम 3 के नीचे आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की प्रक्रिया का विवरण दिए जाने के बाद रखा गया है। नया नियम यह भी कहता है कि आवेदन सिर्फ इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि, आवेदक ने अपना ऐसा लिफाफा संलग्न नहीं किया है।

यह संशोधन डाक खर्च का बोझ आवेदक पर लादने के बिहार सरकार के उद्‌देश्य को दर्शाता है। यह निश्चित रूप से भारत सरकार के नीति के विपरीत है, जहाँ लोक प्राधिकारण आवेदक के साथ संवाद संप्रेषण हेतु डाक खर्च स्वयं वहन करते हैं। आदर्श रूप में बिहार सरकार को भी उसी तरह डाक के खर्च का वहन करना चाहिए। तथापि महाराष्ट्र जैसा राज्य ने अपने नियम में विशेष रूप से उल्लेखित किया है कि डाक खर्च आवेदक को देना होगा। इसीलिए बिहार सरकार की मंशा पूरे रूप से गलत नहीं है। इस नये नियम की अस्पश्टता के कारण इसके क्रियान्वयन में समस्या आएगी। उदाहरण के तौर पर, नया नियम यह नहीं बताता कि, आवेदक को डाक टिकटयुक्त लिफाफा कब प्रस्तुत करना पड़ेगा– आवेदन के साथ या फिर सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करते वक्त।

यदि संदर्भित लिफाफा आवेदन करते वक्त जमा करना होगा तो एक समस्या खड़ी होगी। यदि लोक प्राधिकारण द्वारा वह लिफाफा सूचना लेने हेतु अतिरिक्त शुल्क के बारे में आवेदक को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो लोक प्राधिकारण को फिर भी अभिलेखों की प्रति भेजते समय डाक खर्च का वहन करना पड़ेगा। यदि केवल एक लिफाफा आवेदक के द्वारा जमा किया जाना है तो लोक प्राधिकारण उसके उपयोग के बाद पुनः डाक टिकट और लिफाफे पर पैसा खर्च करेगा। इससे नियमों में संशोधन का उद्‌देश्य सफल नहीं होगा। दूसरी समस्या तब खड़ी होगी जब ''जानकारी कॉल सेन्टर'' की सहायता से आवेदन भेजा जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि, जो आवेदक जानकारी कॉल सेन्टर की मदद लेते हैं, उन्हें कैसे और कब ये लिफाफे भेजने होंगे। ऐसे प्रतीत होता है कि आवेदन की प्रक्रिया के सारे आयामों पर पर्याप्त विचार किए बिना ही यह नियम बना दिया गया।

दूसरी तरफ, यदि यह लिफाफा अतिरिक्त शुल्क जमा करते वक्त आवेदक को जमा करना होगा, तो दो प्रकार की समस्याएं आएंगीः

V½ लिफाफे पर कितनी राशि का डाक टिकट लगाना ज़रूरी है, इस बारे में संशोधन संकेत नहीं करता– यह पहली समस्या है। अक्सर, लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताए बिना आवेदक यह नहीं जान पाता कि, लोक प्राधिकारण द्वारा जो सूचना दी जानी है वह कितने पृष्ठ की है। सूचना के तौर पर दी जाने वाली कुल पृष्ठ की जानकारी के अभाव में आवेदक भरे हुए लिफाफे के वज़न की गणना नहीं कर पाएगा और यह तय नहीं कर पाएगा कि कितने मूल्य के डाक टिकट लगाने की ज़रूरत है। लोक प्राधिकरण को सुविधा प्रदान करने की आड में यह नियम आवेदकों को उलझन में डालेगा। यदि आवेदक ज़रूरत से ज़्यादा मूल्य का डाक टिकट लिफाफे पर चिपकाता है तो पोस्टल सामग्री की बरबादी होगी (आवेदक के ऊपर अनपेक्षित वित्तीय बोझ भी पडेगा) अथवा कम मूल्य के डाक टिकट चिपकाने से नियम का उद्‌देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

C½ दूसरी समस्या तब उत्पन्न होगी जब एक आवेदक लिफाफे के वज़न के मुताबिक जितनी ज़रूरत है उससे कम मूल्य का डाक टिकट लिफाफे पर चिपकाता है। संशोधन यह कहता है कि, डाक टिकट युक्त लिफाफा संलग्न नहीं होने से आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा। कदाचित् यह सकारात्मक प्रावधान लगता है, किन्तु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने में

इसलिए विलम्ब कर सकता है कि आवेदक के द्वारा पर्याप्त मूल्य का डाक टिकट नहीं दिया गया है। इस तरह से यह नियम सूचना देने में विलम्ब करने के लिए जायज़ कारण के रूप में इस्तेमाल होने लगेगा और सूचना के अधिकार कानून में 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने का जो वादा किया गया है, उसे बड़े आसानी से खत्म कर दिया जायेगा। परिणाम यह होगा कि यह संशोधन लोक सूचना अधिकारियों को सूचना संप्रेषण की समयसीमाबद्ध प्रक्रिया से बच निकलने का रास्ता दिखाएगा।

सूचना लेने व देने की प्रक्रिया में ढ़ीलापन उत्पन्न करने के बजाय बिहार सरकार नियमों में एक सरल संशोधन कर लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दे सकती है कि आवेदक को अतिरिक्त शुल्क की राशि के बारे में सूचित करते समय डाक व्यय के संबंध में भी सूचित करें। ijr| cgrj fodYi ;g gkxk fd fcgkj ljdkj Mkd O;; dk fuoZgu Lo;a djs tSlk fd Hkkjr ljdkj d }kjk fd;k x;k gSA

<u>vu|'kalk %</u> fu;e 3¼iii½ fuf'pr :i l lekIr fd;k tk,A fcgkj ljdkj d fy, ;g mfpr gkxk fd Mkd O;; dk og Lo;a fuoZgu dj tSlk fd Hkkjr ljdkj d }kjk fd;k x;k gSA

3- <u>fo"k; oLr| vkj 'kCnk d bLreky ij ikcnh %</u> संशोधन के द्वारा नया नियम 3(क) बनाकर दो तरह के पाबंदियों को थोपा गया हैः

v½ आइंदा, एक आवेदन में नागरिक एक ही विषय वस्तु से संदर्भित जानकारी माँग सकेगा (सकेगी)। यदि वांछित जानकारी एक से अधिक विषयों से संबंधित है, तो लोक सूचना अधिकारी इनमें से प्रथम बिन्दु पर ही सूचना देने के लिए निर्देशित है; और

c½ आवेदन में 150 से अधिक शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

वर्ष 2008 में कर्नाटका सरकार ने सूचना के आवेदकों पर इसी तरह का प्रतिबंध राज्य सूचना आयोग के अनुरोध पर लगाया था। बिहार सरकार, कर्नाटका सरकार के पद चिह्न पर चलती नज़र आ रही है। कर्नाटक में सूचना के अधिकार के तहत जब इस संशोधन से संबंधित फाईल पर टिप्पणी (फाईल नोटिंग्स) मांगी गई तो पता चला, इस के लिए प्रेरणा, राज्य विधायिका में तारांकित प्रश्नों के चर्चा को नियंत्रित करनेवाले नियमों से ली गई थी। कर्नाटका में विधायक सदन में एक ही विषय वस्तु पर और मात्र 150 शब्दों में अपने सवाल उठा सकते हैं । फाईल की टिप्पणी से यह भी उजागर हुआ कि कर्नाटका के सूचना आयोग के पास इससे पूर्व तीन मामले थे, जिसमें बृहद् प्रमाण की सूचना के लिए लंबे आवेदन नागरिकों द्वारा भेजे गए थे। इस तरह से केवल तीन मामलों के आधार पर नागरिकों के सूचना के अधिकार पर पाबंदी लगाने के लिए कर्नाटका के सूचना आयोग ने नियमावली में संशोधन कराने की पहल की थी।

ये प्रतिबंध प्रतिगामी हैं और निम्नलिखित कारणों से बिहार सरकार से सूचना माँगने व प्राप्त करने के मौलिक अधिकार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे :

v½ fu;e 3¼d½ lpuk çkIr d ekfyd vf/kdkj ij xj dkuuh çfrc/k yxkrk g½ नियम 3(क) नागरिकों के सूचना प्राप्त करने के मौलिक अधिकार पर गैर कानूनी प्रतिबंध लगाता है। सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक् तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित पाया गया है। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार, इन अधिकारों पर प्रतिबंध, राज्य की संप्रभुता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता तथा मर्यादा को बचाए रखने के लिए, किसी भी व्यक्ति को मानहानि से बचाने के लिए, अपराध करने को उत्प्रेरित करने से रोकने के लिए, विदेशी राज्यों के साथ मित्रता का सम्बंध या न्यायपालिका की अवमानना जैसे आधारों पर ही लगाया जा सकता है। सूचना के आवेदनों पर पाबंदी लगाने का तात्पर्य है न केवल नागरिकों के सूचना के अधिकार पर अंकुश लगाना बल्कि उनके अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाना। यह अवांछित है तथा भारतीय संविधान के शब्द तथा भावना के भी प्रतिकूल है।

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी को अपनी शिकायत के संबंध में लिखित अभ्यावेदन भेज सकता है। इस तरह के अभ्यावेदन देने पर शब्दों की सीमा अथवा विषयों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। vDlj ukxfjdk dh lpuk d fy, ekx ykd çkf/kdj.k e d'kklu ;k vuÙkjnk;h fu.k; yu dh çfØ;k l lcf/kr f'kdk;r d :i e gkrh gA ykd çkf/kdj.kk e fu;fer :i l ykd f'kdk;r fuokj.k dh 0;oLFkk ¼vf/kdkfj;k dh mi{kk dh otg l ;k tkuc>dj½ fuf"Ø; cu tku d dkj.k dbl ukxfjd viuh Qfj;knk dh luokbl d fy, lpuk d vf/kdkj dk lgkjk y jg gA bl xgu leL;k d ennut j] ukxfjdk d fopkjk dh vfHk0;fä d vkj lpuk d vf/kdkjk ij xj dkuuh çfrc/k yxku d cny fcgkj ljdkj dk viuh ykd f'kdk;r fuokj.k ç.kkyh dk l/kkju d fy, dne mBkuk pkfg,A

c½ fu;e 3¼d½ vkonu dh vLohdfr d fy, ,d vkj vk/kkj cu ldrk g ½ सूचना का अधिकार कानून, केन्द्र तथा राज्य सरकार के लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने हेतु एक माध्यम है। इस कानून की धारा 7(1) के अनुसार, केवल धारा 8 और धारा 9 में बताए गए कारणों के आधार पर सूचना के आवेदनों को निरस्त किया जा सकता है। नामंज़ूरी के लिए और कोई भी कारण वैध नहीं माना जाएगा। नियम 3(क) के द्वारा लोक सूचना आधिकारी को आवेदनों के सिर्फ एक विषय पर विचार करने और अन्य बातों को नज़रंदाज़ करने का अधिकार देकर वास्तव में बिहार सरकार एक तरह से आवेदनों को निरस्त करने के आधर बढ़ा दिए हैं। यह कदम अधिनियम की मंशा के विपरीत है। संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत संरक्षित नागरिकों

के अधिकारों पर अंकुश लगाने की शक्ति बिहार सरकार को प्राप्त नहीं है और ऐसा करना संवैधानिक दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण भी नहीं है।

l½ fu;e 3¼d½ d dkj.k vkonuk dh l[;k ?kVu d cny c<xh ½ इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद पिछले 4 साल के अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि आम तौर पर आवेदक सूचना की मांग को 3 से 4 बिंदुओं तक ही सीमित रखते हैं। अत्याधिक मात्रा में सूचना मांगनेवालों की संख्या नगण्य है। ऐसे आवेदनों से निपटने के तरीके के बारे में इस समालोचना में आगे चर्चा की जाएगी। परंतु विषय वस्तु और शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के बाद आवेदनों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। क्योंकि जो 3 से 4 बिंदुओं पर सूचना अब तक एक आवेदन में मांगी जाती रही, नियम 3(क) के कारण 3 या 4 आवेदनो के रूप में लोक प्राधिकरणों में प्रेषित होने लगेगी। इस के कारण लोक सूचना अधिकारी का बोझ 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। परिणामस्वरूप प्रथम व द्वितीय स्तर के अपीलों की संख्या में भी आनुपातिक रूप से बढ़ोतरी होगी। बिहार सरकार का यह कदम लोक प्राधिकरणों और बिहार सूचना आयोग के लिए सर दर्द बन सकता है।

M½ fu;e 3¼d½ dk n#i;kx gku dh lHkkouk vf/kd g ½ नियम 3(क) की अनुपस्थिति में भी सूचना के आवेदनों को अनेक अवैध कारणों के आधार पर नामंजूर किया जाना बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर के लोक प्राधिकरणों में सामान्य स्थिति बन गई है। कुछ संर्दभों मे आवेदन ऐसे हो सकते हैं, जिनमें वांछित सूचना का स्पष्ट चित्रण देने के लिए 150 से अधिक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसे स्थिति में लोक सूचना अधिकारी नियम 3(क) का हवाला देते हुए आवेदन को निरस्त करने के इच्छुक होंगे। आवेदन को 5–10 शब्दों की अधिकता के कारण निरस्त करना क्या उचित होगा? नियम 3(क), बिना सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श किए, मनमानी ढ़ंग से एक लोकप्रिय और जनसंवेदी कानून को लागू करने की बिहार सरकार की प्रवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण है।

आवेदन की विषय वस्तु क्या है, एक या अनेक हैं– इन बातों को विवेकाधीन रूप से तय करने के लिए नियम 3(क) लोक सूचना अधिकारी को सशक्त बनाता है। यह औचित्यपूर्ण नहीं है। चूंकि नियमावली के इस वाक्यांश– 'एक विषय वस्तु'– को परिभाषित नहीं किया गया है, सूचना का अधिकार के आवेदन को अतार्किक ढ़ंग से निरस्त करने के लिए इसका दुरुपयोग होने की संभावना अधिक है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक आवेदक अपने आवेदन में इन जानकारियों को प्राप्त करना चाह रहा हो :– V½ अपने ग्राम पंचायत के वर्ष 2008–09 के वार्षिक बजट की एक प्रति (जो प्रथमतः धारा 4 (1)(ब) के तहत स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित करने योग्य है, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण लिखित में मांगना पड़ रहा है); c½ उक्त वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं के तहत संपन्न हुए विकास कार्यों की सूची; और d½ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही उक्त गांव को नज़दीक के शहर से जोड़नेवाली सड़क के निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री के सत्यापित नमूने (सैम्पल)। क्या यह आवेदन एक विषय–

यानि ''ग्राम का विकास''– से संबंधित माना जाएगा या तीन विषय– यानि ''पंचायत का वार्षिक बजट,'' ''विकास कार्यों की सूची,'' तथा ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' से संबंधित माना जाएगा? आवेदक उसी गांव का निवासी और एक जागरूक नागरिक होने के नाते विकास की निधियों के दरुपयोग को रोकने के लिए तथा भ्रष्टाचार का परदाफाश कर अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के इच्छुक होगा। ऐसे संदर्भ में नियम 3(क) का हवाला देते हुए अगर लोक सूचना अधिकारी उस आवेदन के केवल प्रथम बिंदु की जानकारी देकर अन्य दो बिंदुओं को निरस्त कर दे तो क्या इसे न्यायोचित निर्णय माना जा सकता है? सूचना के आवेदनों पर ऐसे या कोई अन्य प्रतिबंध लगाना क्या ज़रूरी है?

सूचना के अधिकार कानून का प्रमुख उद्देश्य जागरूक नागरिक समुदाय का निर्माण करते हुए सभी लोक प्राधिकरणों के कार्यों में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाकर, उत्तरदायित्व को कायम कर, भ्रष्टाचार को रोकना है। जहाँ यह कानून अन्य जनहित के मुद्दों से टकराता हो– जैसे सरकार को प्रदत्त संसाधनों का आदर्श उपयोग– वैसी स्थिति में सर्वश्रेष्ठ प्रजातांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरी मान कर सामंजस्य लाने कि बात कानून की प्रस्तावना में की गई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता, समानता तथा सब के लिए न्याय सर्वश्रेष्ठ प्रजातांत्रिक आदर्श माने गए हैं। सूचना के अधिकार के संदर्भ में इन आदर्शों की पुष्टि करने के बदले बिहार सरकार ने नौकरशाही को अनावश्यक विवेकाधिकार देने का प्रतिगामी कदम उठाया है। नियम 3(क) सूचना का अधिकार अधिनियम के बुनियादी सिद्धांत व ऐसे कानून को पारित करने की संसद की मंशा के विपरीत है।

M½ lpuk dk tu vf/kdkj dh dVkSrh fu;eksa dk }kjk ugha dh tk ldrh ¼ सूचना का अधिकार कानून की धारा 27 में नियम बनाने की शक्ति कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए दी गई है, न कि उन्हें कुण्ठित करने के लिए। ज़ाहिर है कि नियम 3(क) नागरिकों के सूचना के अधिकार को सीमित करता है, इसलिए इस नियम को निश्चित रूप से गैरकानूनी घोषित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह नियम बनाने के नाम पर कानून के मूल प्रावधानों को प्रभावहीन करे। fu;e 3¼d½ lpuk çkIr djus ds ukxfjdksa ds vf/kdkj ij ,d vrkfdZd vkSj vuko';d çfrca/k gSA

vuq'kalk % fu;e 3¼d½ dks fuf'pr :i ls fujLr fd;k tk,A

<½ /kkjk 7¼9½ dh d`'kyrkiwoZd 0;k[;k vkSj ç;ksx vf/kd mi;qDr gS ¼ लोक सूचना अधिकारी के लिए बृहद्रूपी सूचना के आवेदनों से निपटने का सबसे बेहतर तरीका है कि, वह सूचना का अधिकार आवेदनों को सावधानी से पढ़ें, और कानून की धारा 7(9) में वर्णित– ''संसाधनों का अननुपातिक रूप से विचलन'' और ''प्रश्नगत् अभिलेख की सुरक्षा और संरक्षण''– दो चेतावनियों को ध्यान में रखकर तार्किक निर्णय करे कि 30 दिनों में कितनी और कौन सी

सूचना दी जा सकती है। यदि सूचना देने योग्य है, तो लोक सूचना अधिकारी कानून के मुताबिक आवेदक को सूचित करेगा कि इसके लिए अतिरिक्त शुल्क के रूप में कितनी राशि जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय में सारी मांगी गई सूचनाएँ देना संभव नहीं है तो, लोक सूचना अधिकारी द्वारा इसी स्तर पर आवेदक को यह भी सूचित कर देना चाहिए कि आवेदक माँगी गई सूचना का मात्र एक भाग प्राप्त करेंगे। सूचना का अधिकार कानून की धारा 7(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी के लिए अपीलीय अधिकारी का ब्योरा देना अनिवार्य है, ताकि अगर आवेदक को लगे कि, सूचना के लिए मांगा गया अतिरिक्त शुल्क अतार्किक रूप से ज़्यादा है तो आवेदक इस संबंध में अपील कर सके। तब मांगी गई सूचना को आंशिक रूप से दिये जाने के बारे में अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई की मांग रखने के लिए आवेदक को एक अवसर प्राप्त होगा। इस से, लोक सूचना अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय न्यायपूर्ण है या नहीं, इस पर विचार करने के लिए लोक प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी को भी एक अवसर मिलेगा। यदि अपीलीय अधिकारी तय करते हैं कि पूरी सूचना 30 दिन के अंदर दी जा सकती थी तो तत्संबंधी आदेश जारी कर सकते हैं। यदि सूचना वाकई बृहद् है तो आवेदक को सलाह दे सकते हैं कि वह उन सूचनाओं को प्राथमिकता दे जो उसे अत्यावश्यक है। ऐसे सकारात्मक और सुविधाकारी व्यवहार करने से आवेदक आम तौर पर राज़ी हो जाते हैं।

लोक सूचना अधिकारी के लिए यह बाध्यता नहीं है कि सारी मांगी गई सूचनाएँ इस लिए दें, क्योंकि, यह सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगा गया है या फिर इसलिए कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी के पास यह अवसर होता है कि वह आवेदक से बात करे और उसे बृहद् सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त लगने वाले समय की जानकारी दे। यदि आवेदक मान जाता है तो लोक सूचना अधिकारी 30 दिनों के बाद भी सूचना दे सकता है। कानून के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी पर इस तरह के मानवीय और विचारपूर्ण रवैया अपनाने के लिए कोई मनाही नहीं है। यदि आवेदक सहमत नहीं है तो अपील का मार्ग उसके लिए हमेशा खुला हुआ है। वैसे भी सूचना के आवेदनों को निपटाने की वर्तमान प्रणाली लोक सूचना अधिकारी पर अनावश्यक बोझ नहीं डालती। इसलिए आवेदकों पर अतार्किक पाबंदियों को थोपकर इस व्यवस्था को जटिल बनाने का कोई वजह नहीं है।

4- Mkd ;k 0;fDrxr ek/;e ls Lohd`r vkosnuks d s gLrkarj.k ij çfrca/k% अगर आवेदक से प्राप्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य प्राधिकरण के कामकाज से आंशिक या पूर्ण रूप से संबंधित है, तो कानून की धारा 6(3) के अंतर्गत उसे आंशिक या पूर्ण रूप से उस अन्य लोक अन्य प्राधिकरण में हस्तांतरित करना होगा। वर्ष 2006 में बिहार सरकार द्वारा जारी की गई नियमावली का नियम 4 इस हस्तांतरण प्रक्रिया को दोहराता है। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर बिहार सरकार ने नियम 4 में संशोधन किया है। नए नियम 4(6) के मुताबिक, यदि सूचना का आवेदन का एक अंश, पेश किए गए लोक प्राधिकरण के कामकाज से संबंधित है और अन्य अंश एक से अधिक लोक प्राधिकरणों से संबंधित

हैं, तो लोक सूचना अधिकारी आवेदन के उन अंशों को संबंधित लोक प्राधिकरणों में हस्तांतरित करने के बदले आवेदक को उन लोक प्राधिकरणों में अलग अलग आवेदन पेश करने के लिए सलाह देगा।

यह नया नियम लोक सूचना अधिकारी और आवेदक दोनों के हित में तब काम करेगा जब कानून की धारा 4(1)(ब) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से प्रकाशित करने वाली सूचना को सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा सभी स्तरों पर प्रकाशित किया गया हो। कानून के इस प्रावधान का क्रियान्वयन न केवल बिहार में बल्कि अन्य राज्यों में भी दयनीय स्थिति में है। स्वैच्छिक प्रकाशित करने वाली सूचना का मूल उद्‌देश्य है कि हर नागरिक को लोक प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में बुनियादी सूचना बिना औपचारिक रूप से आवेदन किए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। सभी लोक प्राधिकरणों के संबंध में पर्याप्त मात्रा में बुनियादी सूचना उपलब्ध न होने से यह स्वाभाविक है कि आवेदक एक आवेदन पत्र में कई सूचनाओं की माँग करे। स्वैच्छिक रूप से अगर सूचना प्रकाशित भी हो जाए, हाल की स्थिति में बी.पी.एल्. तथा निरक्षर आवेदकों के लिए यह जानकारी दुर्लभ है। इस कारण वे सावधानपूर्वक अपना आवेदन तैयार नहीं करा पाते हैं। अतः आवेदनों को यथायोग्य आंशिक रूप से हस्तांतरित करने के लिए लोक सूचना अधिकारियों को सशक्त बनाना उचित नहीं है। कानून की धारा 5(3) में दिए हुए लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करने के निर्देश का यह नया नियम उल्लंघन करता है। इस नियम को तबतक स्थगित रखा जाए जबतक प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा स्वैच्छिक प्रकाशित योग्य सूचना सभी स्तरों पर तैयार न कर ली जाए सार्वजनिक रूप से यह सूचना आसानी से उपलब्ध न हो जाए।

vuq’kalk % fu;e 4¼6½ rcrd LFkfxr j[kk tk; tcrd LoSfPNd çdkf’kr ;ksX; lwpuk çR;sd ykd çkf/kdj.k ds }kjk rS;kj u dj yh tk, vkSj fu;fer :i ls bldk v|ru rFkk okLrfod le; esa çR;sd ukxfjd rd bldh igqap u gks tk,A

5- <u>tkudkjh dkWy lsUVj ds }kjk çkIr vkosnuksa dk gLrkarj.k %</u> नये नियम 4(6) के कारण ‘‘जानकारी कॉल सेन्टर’’ द्वारा प्राप्त सूचना के आवेदनों के निपटारे के संदर्भ में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संशोधन के द्वारा उपस्थापित नियम 4(7) के मुताबिक यदि ‘‘जानकारी कॉल सेन्टर’’ सूचना के आवेदन को गलत लोक सूचना अधिकारी के पास भेजता है तो उस अधिकारी का यह दायित्व है कि उस आवेदन को सही लोक सूचना अधिकारी के पास हस्तांतरित करे। परंतु इस आवेदन के संदर्भ में उस प्रथम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा। जबकि इस नये नियम का उद्‌देश्य सराहनीय है, इसकी जटिल संरचना आवेदन के हस्तांतरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकती है। इस नये नियम को कानून की धारा 6(3) के साथ पढ़ने से यह समझ उभरकर सामने आती है कि ऐसे संदर्भ में भी लोक सूचना अधिकारी को आवेदन का हस्तांतरण 5 दिनों के अंदर करना होगा और आवेदक को लिखित में सूचित करना होगा। लेकिन वह अधिकारी यदि हस्तांतरण में देरी करे तो नियम 4(7) के मुताबिक उसे जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उस आवेदन के लिए वह लोक सूचना अधिकारी नहीं माना जाएगा। हस्तांतरण में देरी के लिए उस अधिकारी को राज्य सूचना आयोग

के समक्ष घसीटा नहीं जा सकता क्योंकि नियम 4(7) के अंतर्गत वह अपने उन्मूक्त होने का दावा कर सकता है। हस्तांतरित हुए लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ देगा यह कहते हुए कि आवेदन के देर से पहुंचने में उसकी कोई भूमिका नहीं रही और आवेदन पर निर्णय लेने में हुए विलंब के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। vrr% ,sls ekeyksa esa vkosnu ds fuiVkjs esa gqbZ nsjh ds fy, fdlh Hkh yksd lwpuk vf/kdkjh dks tokcnsg ugha cuk;k tk ldrk vkSj viuk vkosnu ds le; ij fuiVkjs ds vf/kdkj dk mYya?ku gksus ds ckotwn ukxfjd dks dksbZ mipkj ugha feysxkA fu;e 4¼7½ vkosnuksa ds fuiVkjs dh çfØ;k esa lafnX/krk iSnk djrk gSA bl fu;e dk iqu% la'kks/ku dj ;g lqLi"V dj nsuk pkfg, dh ,sls ekeyksa esa çFke yksd lwpuk vf/kdkjh dks Hkh tokcnsg cuk;k tk,xkA fu;e 4¼7½ ds var esa fn, x, mnkgj.k ds [k.M dks gVkdj ;g la'kks/ku vklkuh ls fd;k tk ldrk gSA

<u>vuq'kalk %</u> fu;e 4 ¼7½] esa vafre okD; dks gVk nsuk pkfg,A

<u>fu"d"kkRed vuq'kalk %</u>

बिहार सरकार से निवेदन है कि *सूचना का अधिकार कानून (संशोधन) नियम, 2009* का गंभीर अवलोकन कर उसके कमी को दूर करे जो निश्चित रूप से गरीब विरोधी है और मूल सूचना के अधिकार कानून के विपरीत है। बिहार सरकार से यह भी निवेदन है कि नियम में जल्द संशोधन करे जैसा कि अनुशंसा किया जा रहा है तथा एक नई गज़ट अधिसूचना जारी करे।

यदि बिहार सरकार इन गरीब विरोधी नियमों को निरस्त करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाती है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते राज्य के समस्त विधायकों का यह दायित्व बन जाता है कि वे सरकार पर इन नियमों को हटाने के लिए दबाव बनाएं। जब कभी सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है, तो कानून की धारा 29(2) के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वह बाध्य होती है। नियमों को गज़ट में अधिसूचित करने के पश्चात, बिना देरी किए हुए, राज्य सरकार को उन नियमों को दोनो सदनों में प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। हर विधायक को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिगामी नियमों में संशोधन की मांग करे। जब विधायक नियमों में संशोधन की मांग करते हैं तो सभापति का दायित्व बनता है कि वह उन नियमों पर बहस करवाए। बहस के दौरान नियमों की समालोचना करने के लिए विधायकों को पूरा मौका मिलेगा। इसलिए बिहार के विधायकों से नागरिक समाज अनुरोध करता है कि वे अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर इन नियमों को निरस्त करने के लिए बिहार सरकार पर दबाव बनाएं।

vfrfjä lnpuk dh fy, bu lh lai dZ djsa

Jhefr ek;k nk:okyk] funsf'kdk
Jh oadVs'k uk;d] dk;Øe leUo;d
Jh lkjHk ?kou] ifj;kstuk vf/kdkjh
d|- oUnk pkjkfj;k] vuql/kku vf/kdkjh
dkeuos YFk g;eu jkbV~l bfuf'k,fVo
ch&117] f}rh; ry
lokZn; ,uDyso
ubZ fnYyh&110 017
nqjHkk"k % 011&43180200@26850523
QSDl % 011&26864688
osclkbV% www.humanrightsinitiative.org

Jh :ih'k
dkf'k'k pfjVcy VªLV
vcfnu gkm l] Ýst j jksM
iVuk & 800001
nqjHkk"k % 9431021035

Jh vt; ckykth
tukns'k
xko&Mkd?kj] HkhB Hkxokuiqj
ok;k e/kqiqj] ftyk e/kqcuh
fcgkj&847408
nqjHkk"k % 9955423689

Jh jkefd'kksj çlkn
xkeh.k ,oa uxj fodkl ifj"kn~
302] tx dksyk'k iSysl jksM u- 3
U;w ikVyhiq= dkWyksuh]
iVuk & 800003
nqjHkk"k % 06122270089

fnukad % 22@02@2010